

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महाराजगंज

छेड़खानी का अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 25.06.22 को उ०नि० सुधीर पाण्डेय मय हमराही को सूचना मिली कि मु०अ०सं० 246/2022 धारा 354/452/506 भादवि व 7/8 पाँक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र सोनकर S/O अमरनाथ सोनकर निवासी जुडाखुर्द थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ रघूपुर बाजार के पास मौजूद हैं इस सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा रघूपुर बाजार के पास आये जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। पुलिस बल द्वारा उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम जितेन्द्र सोनकर S/O अमरनाथ सोनकर निवासी जुडाखुर्द थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 08.30 बजे सुबह में हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 246/22 धारा 354/452/506 भादवि व 7/8 पाँक्सो एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त -

जितेन्द्र सोनकर S/O अमरनाथ सोनकर निवासी जुडाखुर्द थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री ब्रह्मदीन पाण्डेय के नेतृत्व में उ०नि० सुधीर पाण्डेय मय हमराह हे०का० भीम प्रसाद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामदा

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक 22.06.22 को वादिनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की लिखित सूचना के आधार पर खुद की पुत्री उम्र 16 वर्ष को 1-नदीम पुत्र नसीम आदि 04 नफर द्वारा बहलाफुसला कर भगा ले गया है, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 205/22 धारा 363/366 भा०द०वि० पंजीकृत होकर विवेचना व०उ०नि० श्री विपिन सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना के क्रम में अपहृता की बरामदगी करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भा०द०वि० व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। इसी क्रम में -

दिनांक- 25.06.22 उ०नि० विपिन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नदीम मार्टीनगंज तिराहे पर जो भदेठी के लिए रास्ता कटा है वही मौजूद कही जाने की फिराक में है इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मार्टीनगंज तिराहे के नजदीक पहुंचे एवं खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो अपना नाम नदीम पुत्र नसीम साकिन गम्भीरन थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र 20 वर्ष बताया जो कि मुकदमा उपरोक्त का नामजद वांछित अभियुक्त है को समय 10.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया एवं नियमानुसार पेश करने हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 205/22 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त -

नदीम पुत्र नसीम साकिन गम्भीरन थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर

पुलिस टीम-

श्री विपिन सिंह (उ०नि०) कृष्णचन्द (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

गम्भीररूप से मारपीट कर घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 29.05.2022 को वादी मुकदमा श्री धीरज सोनकर पुत्र भोला सोनकर निवासी कौड़िया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि सर्वजीत निषाद पुत्र कालीचरन निषाद ग्राम कौड़िया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के भाई रवि सोनकर को धार दार हथियार, लाठी डण्डा से मारन पीटना व मार कर हाथ तोड़ देना तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/2022 धारा धारा 323/324/325/504/506/308 IPC व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क SC/ST Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया।

2.गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 25.06.2022 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सर्वजीत निषाद पुत्र कालीचरन को समय करीब 09.30 बजे स्थान कौड़िया-सुमेरपुर मन्दिर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 146/2022 धारा धारा 323/324/325/504/506/308 IPC व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क SC/ST Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सर्वजीत निषाद पुत्र कालीचरन निषाद ग्राम कौड़िया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. का0 पंकज यादव थाना कप्तानगंज आजमगढ़
3. का0 विवेक यादव थाना कप्तानगंज आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

चेकिंग दौरान अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 24.06.2022 को उ0नि0 श्री सुभाष तिवारी मय हमराह चेकिंग के दौरान ग्राम खरगपुर के पास से अभियुक्त मिठाई पुत्र दुर्जई सा0 खरगपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 17.10 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 198/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 198/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मिठाई पुत्र दुर्जई उम्र करीब 45 वर्ष सा0 खरगपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुभाष तिवारी, का0 जंगबहादुर पटेल, थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक- 25.06.2022 को उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराह को सूचना मिली कि मु0अ0स-003/2021 धारा 363/366/376डी/506/427/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त महुआ मुरारपुर बाजार मौजूद है तथा कही जाने की फिराक मे है इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल महुआ मुरारपुर बाजार पहुचे तो अभियुक्त उपरोक्त महुआ बाजार मे कही

जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे कि अभियुक्त को हिरासत पुलिस मे समय करीब 10.25 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पता साजमन पुत्र साहव लाल निवासी नैयसन्ड थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र 25 वर्ष बताया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०स० 003/2021 धारा 363/366/376डी/506/427/323 भादवि व 3 व 4 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **अभियुक्त** साजमन पुत्र साहबलाल निवासी नयसन्ड थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1-उ०नि० सन्तोष कुमार यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

2- का० विनय यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

3- का० कौशल शर्मा थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1. **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-** दिनांक 12.06.2021 को वादी श्री विनोद यादव पुत्र एलानी निवासी ग्राम पियरोपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना स्थानीय पर सूचना दी कि प्रार्थी की पुत्री करिश्मा की शादी दि० 1-12.20 को अनिल पुत्र मलधारी ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ के साथ हिन्दू रितिरीवाज से करने व दहेज में अंगूठी, माला, बुलेट गाडी व अन्य सामान देकर विदा किया तथा तिलक में 04 लाख रुपये नकद देने इसके वावजूद मेरी पुत्री को वार-वार दहेज के लिए प्रताणित करना दि० 6.6.2021 अभियुक्तों द्वारा करिश्मा को मारना पीटना और आग से जलाने तथा सिन्दूर पिलाकर पिलाने व गले में रस्सी के द्वारा बाध कर मारने का प्रयास किया गया, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 67/21 धारा 323/326/498ए भा०द०वि० ¾ डीपी एक्ट बनाम 1. मालती देवी(सास) पत्नी मलधारी 2. मलधारी (ससुर) पुत्र स्व० बदरी 3. अनिल(पति) पुत्र मलधारी 4.प्रिया 5. इन्दू पुत्रीगण मलधारी(ननद)निवासीगण ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 307/504 भा०द०वि० की बढ़ोत्तरी की गयी।

2. **गिरफ्तारी की विवरण-** प्रभारी निरीक्षक श्री नन्द कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.06.2022 को उ०नि० सुरेन्द्र प्रताप मय हमराह का० अमित यादव, का० चन्द्रजीत यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अनिल यादव पुत्र मलधारी यादव सा० खैरपुर जगजीवन थाना रानी की सराय आजमगढ़ को मुखबिरी सूचना पर सैदरवारा खैरपुर जगजीवन तिराहा से समय करीब 08.35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 67/2021 धारा 498ए/323/307/504 भा०द०वि० व 3, 4 डीपी एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अनिल यादव पुत्र मलधारी यादव सा० खैरपुर जगजीवन थाना रानी की सराय आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० सुरेन्द्र प्रताप मय हमराह का० अमित यादव, का० चन्द्रजीत यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।